संख्या 1607/15-1131-94-1499181/77,

प्रेषक,

आलोक रंजन,
शिक्षा सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

111 शिक्षा निदेशक1मा01,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

121 शिक्षा निदेशक1बे01,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा1131अनुभाग । लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 1994,

विषय:- उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्चप्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्चप्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण से छूट दिया जाना अथवा उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण से मुक्त किये जाने अथवा उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से सम्बन्धित उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 742/15-1131-94-1499181/77, दिनांक 6 सितम्बर, 1994 द्वारा संसूचित शासन के तीन निर्णयों में से प्रथम निर्णय के स्थान पर पुनर्विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

जिन अध्यापकों/अध्यापिकाओं की अनवरत सेवा दिनांक 1-9-1994 को 10 वर्ष हो गयी हो अथवा जिनकी सेवा निवृत्ति में मात्र दो वर्ष शेष रह गये हों, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान की जायेगी । ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण से मुक्ति के आदेश सम्बन्धित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक1बे01तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेंगे ।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 6-9-1994 द्वारा संसूचित द्वितीय तथा तृतीय निर्णय यथावत् रहेंगे ।

3- कृपया तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
शिक्षा सचिव ।

संख्या 1807(1)/15-11(3)-94, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ ।

(2) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बे0) उ0प्र0, ।

(3) समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।

(4) रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(5) संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(6) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।

(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।

(8) शिक्षा अनुभाग- 5/6/7/8,

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
शिक्षा सचिव ।